



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 102 राँची, सोमवार,

20 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

12 जनवरी, 2023

संख्या-5/आरोप-1-36/2022-255 (HRMS)--श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को सुन्दरनगर काण्ड संख्या-22/2017, जी०आर० नं०-1867/17, धारा-467/468/471/406/409/419/420/34 भा०द०वि० में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी (S.D.J.M.), जमशेदपुर के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के पश्चात् उन्हें न्यायिक हिरासत में घाघीडीह केन्द्रीय कारागार भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-17719(HRMS), दिनांक 18.10.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत आत्मसमर्पण की तिथि दिनांक 18.07.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

2. श्री बास्के द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 12.12.2022 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है ।
3. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री बास्के द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-12.12.2022 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 12.12.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया जाता है ।
4. निलंबन अवधि में श्री बास्के का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है, जहाँ ये अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	LAKHI RAM BASKEY (20060400007)	श्री लखी राम बास्के, झांझारपुर तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोडा सम्प्रति निलंबित (दिनांक 18-07-2022 से) को योगदान की तिथि 12-12-2022 से पुनः निलंबित किया जाता है ।	12/12/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
